राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही पर इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	118/2020 रामरतन बनाम गोपाल	

08/12/2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 18/12/2025 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

18/12/2025

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम केरिया पटवार हल्का केरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान स्थित भूमि खसरा नं. 73/1 रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा के पूर्व खसरा नं. 73 रकबा 51 बीघा 8 बिस्वा था। जिसमे वादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा एवं वादी सं. 2 का 1/6 हिस्सा, वादी सं. 4 लगायत 7 का 1/6 हिस्सा था। अर्थात उक्त भूमि खसरा नं. 73 रकबा 51 बीघा 8 बिस्वा मे वादीगण का 1/2 हिस्सा था एवं प्रतिवादी सं.1 के पिता छोटू पुत्र गणेश का 1/2 हिस्सा था। वादीगण अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है और अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीगण भूमि के मौके पर तो अपने हिस्से अनुसार ही काबिज काश्त है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि खसरा नं. 73 रकबा 51 बीघा 8 बिस्वा में प्रतिवादी सं. 1 के 1/2 हिस्से मे से सिलिंग अधिग्रहण के तहत नामान्तकरण स. 112 दिनांक 22.11.1976 के द्वारा 12 बीघा 13 बिस्वा भूमि अधिग्रहित कर ली गई, जिसमे से उसके हिस्से शेष भूमि 13 बीघा 1 बिस्वा ही रही। परंतु जमाबन्दी में उक्त कम हुए रकबे का इन्द्राज राजस्व कर्मचारियो द्वारा दुरूस्त नही होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 1/2 कर रखा है, जो गलत है जबकि उक्त आराजी खसरा नं. 73/1 रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा में वादीगण के हिस्से की भूमि 25 बीघा 14 बिस्वा है, जिसमे वादीगण का हिस्सा 514/775 है, जिसमे से प्रत्येक वादीगण का हिस्सा निम्नानुसार है वादी स. 1 का हिस्सा 514/2325, वादी सं. 2 का हिस्सा 514/2325, वादी सं. 3 का हिस्सा 257/2325 व वादी सं. 4 लगायत 7 का हिस्सा 257/2325 एवं प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 261/775 है, जिसका इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। भूमि खसरा नं. 73 में से रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा सिलिंग अधिग्रहण के तहत कम हुआ है व प्रतिवादी सं. 1 के पिता स्व. छोटू पुत्र गणेश के 1/2 हिस्से मे कम किया गया। वादीगण के हिस्से मे से कोई लेना देना नही वादीगण अपने हिस्से की भूमि 25 बीघा 14 बिस्वा का काबिज काश्तकार है। परंतु राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा 1/2 दर्ज है जो गलत है। चूकि प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में मात्र 13 बीघा 1 बिस्वा भूमि शेष रही है। इसलिए वर्तमान जमाबंदी दर्ज गलत इन्द्राज मे दुरूस्त किये जाने के वादीगण को उक्त वाद प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। उक्त विवादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**रामरतन** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **बनाम** **गोपाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आराजी के 1/3 हिस्से के खातेदार माधो व लादू पिता धन्ना से वादी सं. 1 व 2 जरिये विक्रय पत्र क्रय कर वर्ष 1976 से काबिज चले आ रहे है। वादीगण सं. 3 लगायत 7 की पैतृक सम्पत्ति जिस पर वो अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। परंतु राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी सं.1 के इन्द्राज अधिक होने से उसको दुरूस्त करवाने के लिए वादीगण ने कई बार कहा परंतु उसके द्वारा इन्द्राज दुरूस्त करवाने से टालमटोल करने व इंकार कर देने के कारण वादीगण को वाद प्रस्तुत कर अपने हिस्से का इन्द्राज दुरुस्तीकरण करवाने व अपने हिस्से की घोषणा करवाना आवश्यक हुआ। वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर वाके ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर स्थित आराजी ख.नं. 73/1 रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा मे से वादीगण को 25 बीघा 14 बिस्वा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी सं. 1 का हिस्सा 514/2325 व वादी सं. 2 का 514/2325 व प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा 257/2325 व वादी सं. 4 लगायत 7 का हिस्सा 257/2325 व प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 261/775 का इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर पालनार्थ तहरीर जारी की जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20/02/2020 पारित करते हुए वादीगण का अपने वाद को साबित करने में असफल होना धारित करते हुए वाद ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य-सबूत का परीक्षण कर तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20/02/2020 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर